न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 16/2017

बउनवान

मंगतराम आयु 43 वर्ष पुत्र श्री फूलचन्द जाति—हरिजन निवासी—बारां उचित मूल्य दूकानदार वार्ड नं0 5—बी बारां जिला—बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा—22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :—1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक— 27.02.2019

1— अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 15.06.2017 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा—22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि अपीलांट वार्ड नं0 5 बारां शहर का उचित मूल्य दूकानदार है जिसका जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा प्राधिकार पत्र आदेश दिनांक 15.6.2017 को निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश रसद नियमों के खिलाफ एवं दुर्भावनापूर्वक दिया गया है। आदेश में खण्ड 8(क) व 9 की [illegible] नहीं की गई है, प्राधिकार पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गयी है। [illegible] निरस्त करने से पूर्व रसद विभाग द्वारा कोई जॉच नहीं [illegible] द्वारा किसी भी प्रकार से प्राधिकार पत्र की प्रकिया, कर्तव्य [illegible] नहीं किया गया है।

2— [illegible] लांट का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था जिसका जवाब [illegible] बीमारी के कागजात सहित प्रस्तुत कर दिया था,परन्तु उसकी बीमारी [illegible] ध्यान नहीं रखते हुये रेस्पों0 ने अंतिम रूप से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। माह अक्तूबर—2016 में अपीलांट अत्यधिक बीमार था [illegible] उसने स्वंय राशन सामग्री अन्य डीलर से वितरण करने का निवेदन [illegible] था जिसकी पालना में अप्रार्थी रेस्पों0 ने रूपचंद पोरवाल डीलर [illegible] संभलाने हुये वितरण करवाया था। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] बकाया राशि निकालते हुये दुर्भावनापूर्वक एक नोटिस जारी किया, उस आधार [illegible] कर प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है ओर उस [illegible] परिवार को पालने का एकमात्र साधन उक्त प्राधिकार पत्र से संचालित दुकान हीं है। प्राधिकार पत्र निरस्त [illegible] से अपीलांट की आजीविका समाप्त हो जावेगी तथा परिवार भूखों मर जायेगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

[illegible] दिनांक 15/6/2017

निरस्तनीय है।

की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 15.6.2017 निरस्त किया जाकर, प्राधिकार पत्र बहाल करने के आदेश प्रदान किये जावे।

3— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के विरूद्व वार्ड मेम्बर से गलत तथ्य पेश कर दिनांक 16.9.2016 को शिकायत की गयी है। इसी आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 16.09.2016 को निलंबित किया गया था। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त अवधि में अपीलांट गम्भीर बीमार रहा है, इस कारण दूकान नहीं खोली गयी है। इस अवधि में अपीलांट अपने इलाज कराने के लिये कोटा भी रहा है। अपीलांट द्वारा चिकित्साधीन रहने के कारण दूकान नहीं खोली गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 21.9.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका जवाब अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 5.10.2016 को उपस्थित होकर पेश किया था। अपीलांट ने स्वंय ने निलंबन अवधि में दौरान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र पेश किया था कि उसके स्थान पर किसी अन्य डीलर को उक्त दूकान को अस्थायी रूप से दे दी जावे। इसकी पालना में उसकी दूकान का अटेचमेंट डीलर रूपचन्द पोरवाल को किया गया। अपीलांट के बीमारी से ठीक होने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बार–बार उपस्थित होकर प्राधिकार पत्र बहाल करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किये, किन्तु अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया गया। जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष [illegible] समर्थन में चिकित्साधीन रहने संबंधी दस्तावेज पेश किये गये थे, [illegible] ध्यान नहीं देकर, पूर्व भावना बनाकर, बिना रेकार्ड एवं परिस्थिति[illegible] अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। आदेश [illegible] अपीलांट के कथन एवं दस्तावेजात् की कोई जॉच नहीं की गयी है। [illegible] मनमाना आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलांट के [illegible] अनियमितता प्रमाणित नहीं है जिसके आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया जावे, आरोप क्षम्य योग्य है। अतः अपीलांट की अपील पर, सहानुभूति पूर्वक विचार कर, अपील स्वीकार करते हुये प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

6— [illegible] र रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन[illegible] निवेदन किया कि वार्ड पार्षद द्वारा डीलर के विरूद्व गेहूँ नहीं [illegible] ने की शिकायत की गयी है। इसके सत्यापन करने पर ज्ञात हुआ कि डीलर द्वारा 10 दिन से दूकान नहीं खोली है, इस आधार पर प्राधिकार [illegible] किया [illegible] था डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा दूकान बंद रखने का कोई [illegible] कारण नहीं बताया गया। डीलर [illegible] अनियमितता अपने का आदी रहा है। [illegible] पूर्व में भी कई अवसर दिये गये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। जिससे पाया जाता है कि अपीलांट के विरूद्व दूकान बंद रखने पर वार्ड पार्षद वार्ड नं0 21 द्वारा शिकायत की गयी है जिसकी जॉच उपरान्त दूकान बंद पाये जाने पर दिनांक 16.09.2016 को प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। डीलर के विरूद्व निलंबन पश्चात दिनांक 21.09.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसका डीलर द्वारा दिनांक 5.10.2016 को जवाब पेश किया गया है। अपील में अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि उसके बीमार होने के कारण दूकान बंद रहीं है। उसके द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गयी है। इस परिपेक्ष्य में हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने चिकित्साधीन रहे प्रमाणपत्र एवं चिकित्सा संबंधी पर्चे पेश किये गये है। जिनकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जॉच नहीं [illegible] है ना हीं निर्णय में इसका कोई विवेचन किया गया है। चूकि अपी[illegible] करने के अलावा ऐसा कोई आधार पत्रावली में मौजूद न[illegible]कार पत्र निरस्त किया जावे। अपीलांट अनुसूचित जाति का [illegible] में लिखा है कि उसके उक्त दूकान के अतिरिक्त आय का [illegible] नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति नरमी एवं सहानुभू[illegible] हुये अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित समझते है।

8— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां [illegible] 15.06.2017 निरस्त किया जाकर, प्राधिकार पत्र बहाल किया [illegible]

निर्णय आज दिनांक [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official